न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/97/2019

प्रवेश तिथि 30.10.19

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री दिनेश कुमार यादव एडवोकेट, ग्राम पोस्ट हमींदपुर तह0 बहरोड़, जिला अलवर–301701		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 20.11.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 12.09.19 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से आ0ख0नं0 341 रकबा 0.63 है0 वाके मौजा कारोड़ा तह0 बहरोड़ व ख0नं0 879 वाके ग्राम बहरोड़ तर्फ गंगाविशन बहरोड़ को सरकार द्व्झारा एसएच–11 के लिए अधिग्रहण करने की सूरत में आराजी ख0नं0 341 व 879 जो दोनों आराजी बराबर–बराबर लगती हुयी एवं नगरपालिका कार्यालय से बराबर दूरी पर स्थित का मुआवजा डीएलसी दर का बराबर–बराबर मुआवजा एवं डीएलसी दर का 4 गुणा मुआवजा के लिए आपत्ति प्रा0पत्र श्रीमान को दिया गया था जसिका निस्तारण किया गया है उसकी सत्यप्रति चाही गई थी।
5. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 12.09.19 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 29.10.19 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2019/883–84 दिनांकः 30.10.19 के माध्यम से तलब कर दिनांकः 07.11.19 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब अप्राप्त होने पर स्मरण पत्रांक 904–05 दिनांक 14.11.19 के माध्यम से जवाब तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। प्रत्यर्थी की आरे कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही अपीलार्थी उपस्थित आया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक लोक सूचना/2019/1538–39 दिनांक 13.11.2019 से जवाब अपील पेश किया गया जो अभिलेख पर लिया गया।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 12.09.19 के क्रम में पत्रांक लोकसूचना/19/1537 दि. 13.11.19 के माध्यम से अधिनियम की धारा 7(1) में वर्णित निर्धारित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर विलम्ब से सूचित किया गया है जो उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति उदासीनता का परिचायक है। उक्त के अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण में सूचना प्रदान की गई है तथापि सूचना प्रदत्त है।

9. उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों पर अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावें।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)